आलेख्य-3

संख्याः 792 /24-पी-3-2023-25/2022

प्रेषक,

अनुपम शुक्ला,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2023

विषयः उ0प्र0 डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021 के प्रस्तर-8.4(vii) के अनुसार विद्युत आपूर्ति में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2 के पत्र संख्या-13/2023/225/78-2-202310(एम)/2021 दिनांक 13.04.2023 (छायाप्रति संलग्न) कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021 (छायाप्रति संलग्न) के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए गये हैं।

2- अवगत कराना है कि उ0प्र0 डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021 के प्रस्तर-8.4(vii) में निम्नलिखित प्राविधान हैं:-

8.4(vii)

विद्युत आपूर्ति में वृद्धि : यूपीपीसीएल और उसकी डिस्कॉम द्वारा, वितरण प्रणाली की तकनीकी स्थितियों के आधार पर डाटा सेन्टर पार्क्स / इकाइयों को आपूर्ति कोड में निर्धारित वोल्टेज स्तर के लिए अनुमन्य / अनुबन्धित भार से अधिक बिजली की आपूर्ति (एमवीए में) की अनुमति दी जा सकती है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नीति के प्रस्तर-8.4(vii) के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(अनुपम शुक्ला)
विशेष सचिव।

arvind draft

संख्या-   /24-पी-3-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् :-

1. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन,लखनऊ ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ / उ०प्र० जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ /पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ /दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं कानपुर विद्युत सप्लाई कम्पनी लि० (केस्को). कानपुर।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
6. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स-2।
7. औद्योगिक अनुभाग-6
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनुपम शुक्ला)
विशेष सचिव।

arvind draft